अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक—9/विविध—स्कीम—04—01/18 पटना, दिनांक—

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—
विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
पथ प्रमंडल (राष्ट्रीय उच्च पथ सहित)
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

विषयः आवंटन की अधियाचना के साथ प्रमंडल में क्रियांन्वित योजनाओं से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः— विभागीय पत्रांक—4099 (एस0)डब्लु0ई0 दिनांक—11.05.2017 पत्रांक—901(ई0) दिनांक—08.02.2018 एवं पत्रांक—3401 (ई0) दिनांक—17.05.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय पत्र सं0—4099(S)We दिनांक—11.05.17 द्वारा आवंटन अधियाचना पत्र के साथ गुण नियंत्रण जाँच संबंधित प्रतिवेदन एवं पत्रांक—901(ई0) दिनांक—08.02.2018 द्वारा क्रियांन्वित योजना से संबंधित वांछित सूचना प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में तथा पत्रांक—3401 (ई0) दिनांक—17.05.2018 द्वारा जिस विपत्र कोड के अधीन राशि की अधियाचना की जा रही है, उसके अन्तर्गत क्रियान्वित सभी योजनाओं को PMIS में अपलोड किये जाने का प्रमाण पत्र के साथ ही मांग पत्र समर्पित करने का निदेश दिया गया है। प्रायः देखा जा रहा है कि प्रमंडलों से प्राप्त आवंटन हेतु अधियाचना पत्र के साथ उपरोक्त प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में संलग्न नहीं किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्र सं0—2737(ई0)डब्लू0ई0 दिनांक—11.04.2018 द्वारा पूर्व में भी आवंटन के अधियाचना पत्र के साथ विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्रो के आलोक में वांछित प्रतिवेदन के साथ ही आवंटन हेतु अधियाचना पत्र समर्पित करना सुनिश्चित किया जाय। पत्र के साथ उपरोक्त प्रतिवेदन संलग्न नही रहने पर समर्पित मांग पत्र पर आवंटन हेतु विचार नही किया जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/—

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक—9/विविध—स्कीम—04—01/18 पटना, दिनांक—

प्रतिलिपिः—सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल/ अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, पटना (फैक्स / ईमेल हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/—

(लक्ष्मी नारायण दास)

ज्ञापांक—9/विविध—स्कीम—04—01/18 4667 (E) पटना, दिनांक— 6/7/18

प्रतिलिपिः— आई0 टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, पटना को विभागीय पोर्टल पर पत्र अपलोड करने हेतु निदेशित किया जाता है।

9/7/18

(लक्ष्मी नारायण दास)

9/7/18